राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 4(2)/केटे/सा.न्या.अ.वि./18/ 3672 जयपुर, दिनांक

सीमित निविदा

निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर भवन में **विद्युत उपकरण रख–रखाव संबंधी समस्त कार्य हेतु** सभी प्रकार के विद्युत उपकरण, भूतल में स्थापित पैनल बोर्ड्स, विद्युत लाईनों के रख–रखाव यथा उपकरणों, लाईनों में फाल्ट, पानी की मोटर, पंखे, घंटी, स्वीच, ट्यूबलाईट बदलने आदि का लेबर कार्य परिसर में स्थित सभी प्रकार के विद्युत उपकरणों व फिक्चर्स सम्मिलित हैं, के लिए कार्य की वार्षिक रख–रखाव हेतु दरें वांछित है। उपकरणों में लगने वाला सामान विभाग द्वारा दिया जायेगा।

अतः जो भी इच्छुक फर्म/व्यक्ति इस कार्य को करना चाहे वह अपनी दरें **दिनांक 14.5..2018 को प्रातः** 11.00 **बजे** तक बन्द लिफाफे में दे सकते हैं। प्राप्त निविदा को **उसी दिन 12..00** बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

1 विद्युत कार्य के लिये फर्म/संस्था द्वारा लगाया जाने वाला व्यक्ति अनुभवी व बिजली कार्य का जानकार होना चाहिये इसके लिये विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस या आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

2 विद्युत कार्यों के रख–रखाव का भुगतान मासिक किया जावेगा।

3 उक्त कार्य करने हेतु दरें एक वर्ष के लिये अनुमोदित की जावेगी। सन्तोषजनक कार्य होने की स्थिति में अवधि दोनों पक्षों की सहमति से नियमानुसार अवधि बढाई जा सकती है।

4 विभागीय भवन में भूतल में स्थित पैनल, भवन की छत पर कूलिंग प्लान्ट, जनरेटर के कनेक्शन, भवन के सभी कक्षों, गैलरी एवं समस्त परिसर के बिजली उपकरण खराब होने पर तुरन्त दुरस्त करने होगे।

5 बिजली कार्य में एम.सी.बी./आईसोलेटर खराब होने पर बदलने का कार्य करना होगा।

6 पंखें की बाईंडिग, मोटर की बाइंडिंग, बोरिंग की मोटर बाइंडिंग का भुगतान विभाग द्वारा देय होगा किन्तु उक्त कार्य हेतु मोटर को निकाल कर रिपेयर करवाकर पुनः स्थापित करने कार्य करना होगा।

7 संवेदक इलेक्ट्रीशियन को प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय संचालन अवधि तक उपस्थित रहकर बिजली रख–रखाव कार्य करना होगा। नियम इलेक्ट्रिशियन के अवकाश पर रहने पर संवेदक को अन्य कार्मिक उपलब्ध कराना होगा। राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय संचालन की स्थिति में विद्युत कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

8 विद्युत व्यवस्था में निगम स्तर से व्यवधान आने/सप्लाई नहीं होने पर विभागीय भवन में स्थापित जनरेटर को चालू करना करना होगा तथा विद्युत सप्लाई चालू होने पर जनरेटर को बंद करना होगा। जनरेटर में डीजल/ऑयल आदि की पूर्ति हेतु केयर टेकर/स्टोर कीपर को सूचित करना होगा।

9 बिजली से संबंधित समस्त लेबर कार्य फर्म द्वारा किये जायेगे। आवश्यकतानुसार बिजली से संबंधित सामग्री विभागीय स्तर से उपलब्ध करवाई जायेगी।

10 किसी भी प्रकार की दुर्घटना संवेदक कार्मिक की मृत्यु/शारीरिक क्षति होने पर विमग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

11 बिलों का भुगतान उप निदेशक,प्रशासन/केयर टेकर के सत्यापन के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बिजली कार्य समय पर नहीं किये जाने पर अथवा मोबाईल पर सम्पर्क नहीं होने पर विभाग द्वारा अन्य बिजली मैकेनिक को बुलाकर कार्य करवाया जायेगा जिसका भुगतान फर्म के भुगतान में से काटा जावेगा।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांकः– एफ. 4(2)/केटे/सा.न्या.अ.वि./18/ 36722-33 जयपुर, दिनांक 01/05/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) जयपुर।
2 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), मुख्यावास
4 नोटिस बोर्ड निदेशालय/उप निदेशक,ग्रामीण/शहर,जयपुर, शिशु गृह/किशोर गृह,जयपुर ।
5 राज एन्टरप्राईजेज,15–16,बालाजी टॉवर,लिव इन होटल के पास,सुभाष नगर,शास्त्री नगर,जयपुर
6 राधे इलेक्ट्रिकल्स एण्ड रेफिजरेशन,देवलिजा अजमेर रोड,जयपुर
7 जे0के0ब्रदर्स,अनुपम विहार,200 फीट बाईपास,गांधीपथ, वैशाली नगर,जयपुर।
8 आदेश पत्रावली।

(संघमित्रा बरडिया)
उप निदेशक (प्रशासन)

desktop/care takar/